

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 21.11.2025

अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा लेने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में ३०नि० राम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० ५९१/२५ धारा ३१८(४),३१९(२),३३८,३३६(३),३४०(२),६१(२) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त ऋषभ सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह निवासी ग्राम जेल रोड बाईपास पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक ०९.०९.२०२५ को थाना स्थानीय पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि डिसेन्ट हास्पिटल के संचालक, एपेक्स हास्पिटल के संचालक व कर्मचारियों द्वारा मरीज को बिना अस्पताल में भर्ती किये हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा अवैध व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बीमा कम्पनी से लिया गया । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ऋषभ सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह निवासी ग्राम जेल रोड बाईपास पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० ५९१/२०२५ धारा ३१८(४),११९(२),३३८,३३६(३),३४०(२),६१(२) बी०एन०एस० थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

१. उ०नि० राम सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
२. का०अतुल रजक थाना रामगढ़ताल गोरखपुर